23

संख्या– 2474/1–10–2008–12(28)/2007

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, अलीगढ, कांशीराम नगर, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, औरय्या, इटावा, फर्रूखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, संतरविदास नगर, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, चंदौली, जौनपुर एवं वाराणसी।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊः दिनांक 29 अप्रैल 2008

विषय :– जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 28.09.2007 में लिये निर्णय के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आपके जनपद में जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 1,50,000/–प्रति जनपद की दर से कुल रू0 55,50,000/– (रूपये पचपन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित मदों में आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

कमांक	मद	आवंटित धनराशि (रू0में)
1.	फोटो स्टेट मशीन	65,000/–
2.	फैक्स मशीन	10,000/–
3.	टेलीफोन	5,000/–
4.	कम्प्यूटर (सीपीयू,प्रिन्टर,यूपीएस,कुर्सी–मेज इत्यादि सहित)	50,000/–
5.	स्टेशनरी, कम्प्यूटर का रख–रखाव तथा अन्य आवश्यक उपकरण हेतु	20,000/–
	योग :	रू0 1,50,000/–

2. यदि किसी मद में अधिक धनराशि व्यय होने की संभावना हो तो अन्य मदों में होने वाली बचत से धनराशि को समायोजित कर लिया जाय।

3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245– प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित करते हए बाहर बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाय। आपदा केन्द्र की प्रभावी व्यवस्था हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी को इसका प्रभारी बनाया जाय।

5. जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में वर्षा तथा अन्य दैवी आपदाओं की सूचना का संकलन व संरक्षण रखा जाय, ताकि शासन स्तर से मांगी जाने वाली सूचना तुरन्त उपलब्ध करायी जा सके। वेबसाइट पर आंकड़े नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक फीड कर दिया जाय।

6. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी.आई.–134 / 1–11–2007–46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित मद में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693 / 1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या –2474 (1)/1–10–2008–12(28)/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियां)/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।